रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012026-269101
CG-DL-E-05012026-269101

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 2026/पौष 13, 1947
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 2026/PAUSHA 13, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

**का.आ. 31(अ).—** यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1457(अ), दिनांक 09.05.2017 द्वारा केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 148बी की भिवानी-हांसी-पंजाब सीमा के 126.000 किमी से 227.000 किमी तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148बी के भिवानी-हांसी खंड के कि.मी. (-) 0+464 से कि.मी. 40.880 किमी (कुल लंबाई 41.344 किमी) तक चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 17.86 कि.मी. (सारणी-2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 2.78 कि.मी. (0.278 किलोमीटर की लंबाई वाली) (सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसके पश्चात् 'आधार दर' कहा जाए) और 10 करोड़ रू या उससे अधिक की लागत वाले 23.206 कि.मी. (सारणी-3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर, शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

| सारणी1- | |
|---|---|
| **वाहन का प्रकार** | **आधार वर्ष 2007- .मी.के लिए प्रति कि 08 (रुपए में) आधार शुल्क दर** |
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले) | 4. 20 |

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात-:

| सारणी -2 | | |
|---|---|---|
| **शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)** | **लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क देय है** | **दर जिस पर शुल्क संदेय है** |
| हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में बवानी खेड़ा गांव के पास एनएच-148बी के किलोमीटर 28. 350 पर। | 17.86 कि.मी. [0.278 किमी लंबाई की संरचना )>60 मीटर और (23.206 किमी बाईपास को छोड़कर[ | चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

| सारणी-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)** | **बाईपास का नाम** | **पर आरंभ होते हुए** | **पर मिलते हुए** | **बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है** | | **दर जिस पर शुल्क संदेय है** |
| | | | | **60मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर (कि.मी. में)** | **लागत (करोड़ रुपए में)** | |
| हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में बवानी खेड़ा गांव के पास एनएच-148बी के किलोमीटर 28.350 पर। | एनएच-148बी का भिवानी बाईपास | डिजाइन किमी (-)0.464 | डिजाइन किमी 10+300 | 10.565 | 217.11 | चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150% |
| | एनएच -148B का बवानी खेड़ा बाईपास | डिजाइन किमी 20+880 | डिजाइन किमी 27+220 | 6.340 | 113.75 | |
| | एनएच-148बी का हांसी बाईपास | डिजाइन किमी 34+500 | डिजाइन किमी 40+880 | 6.301 | 128.32 | |

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित 60 पर (प्लाज़ाओं) के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की 10 अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्‍क भी देय और संदेय होगा :

| सारणी-4 | | | |
|---|---|---|---|
| **शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)** | **सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)** | **समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)** | **दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है** |
| हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में बवानी खेड़ा गांव के पास एनएच-148बी के किलोमीटर 28.350 पर। | 0.278 कि.मी. | 2.78 कि.मी. | चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

*:मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का ब्योरा इस प्रकार है 60

| **चेनेज** | | **एनएच सं.** | **संरचना का प्रकार** | **लंबाई (किमी में)** | **समकक्ष सड़क लंबाई किमें .मी.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **से (किमी)** | **तक (किमी)** | | | | |
| -0+060 | 0+060 | एनएच -148B | वीयूपी | 0.120 | 1.20 |
| 4+310 | 4+389 | एनएच -148B | आरओबी | 0.079 | 0.79 |
| 38+180 | 38+259 | एनएच -148B | आरओबी | 0.079 | 0.79 |

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस किकी दूरी के .मी. भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष2025-2 के लिए 6340/-रूपए तीन सौ चालीस रूपए ) है और उक्त नियमों (मात्रके प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

| सारणी-5 | | |
|---|---|---|
| **संदेय धनराशि** | **अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या** | **विधिमान्यता की अवधि** |
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | भुगतान के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास | भुगतान की तारीख से एक मास |

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा ) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की (रहे वाहनों को छोड़कर50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान के उप नियम 10 करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. वैध कार्यात्मक फास्टैग वाले वाहनों को राजमार्ग पर चलने की अनुमति होगी। बिना वैध कार्यात्मक फास्टैग वाले वाहन, गैरफास्टैग वाहन-, कम बैलेंस वाले वाहन, ब्लैकलिस्टेड फास्टैग आदि से, उस श्रेणी के लिए देय शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।

9. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त वाहनों की श्रेणी-, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

10. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

11. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथाउल्लिखित-, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा 5 एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।-कम एक-से-तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम

12. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2056.90 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. पीयूएनडीआईवी-19/29/2025-ई/पीआईयू भिवानी-259231]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2026

**S.O. 31(E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. No. 1457(E) dated 09.05.2017 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 126.000 to km. 227.000 of Bhiwani-Hansi-Punjab border of NH 148B in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as “base rate”) for net road section length of 17.86 Km [Table-2] and for equivalent structure (having length more than 60 m) of 2.78 km (having length of 0.278 km [Table-4]) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 23.206 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of 4 lane of Bhiwani-Hansi Section from km. (-) 0+464 to km. 40.880 (total length 41.344 Km) of National Highway number 148 B in the State of Haryana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

**Table 1**

| **Type of vehicle** | **Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

**1.** The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

**Table 2**

| **Location of Fee Plaza (chainage)** | **Length (in km) for which Fee is payable** | **Rate at which fee is payable** |
|---|---|---|
| At Km. 28.350 of NH-148B near village Bawani Khera in Bhiwani district of state of Haryana | 17.86 Km<br><br>[excluding 0.278 Km length of structure (>60m) & 23.206 Km of by passes] | 100% for four or more lane, of the base rate mentioned in Table-1 above |

**2.** In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

**Table 3**

| Location of Fee Plaza (chainage) | Name of the Bypass | Taking Off | Merging at | Length and Cost of bypass for which additional fee is payable | | Rate at which fee is payable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Length excl structure > 60 m (in Km.) | Cost (in Rs. Crore) | |
| At Km. 28.350 of NH-148B near village Bawani Khera in Bhiwani district of state of Haryana | Bhiwani Bypass of NH-148B | Design km (-)0.464 | Design Km 10+300 | 10.565 | 217.11 | 150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above. |
| | Bawani Khera Bypass of NH-148B | Design km 20+880 | Design Km 27+220 | 6.340 | 113.75 | |
| | Hansi Bypass of NH-148B | Design km 34+500 | Design Km 40+880 | 6.301 | 128.32 | |

**3.** In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

**Table-4**

| Location of Fee Plaza (chainage) | Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent road length (in km) | Rate at which fee is payable |
|---|---|---|---|
| At Km. 28.350 of NH-148B near village Bawani Khera in Bhiwani district of state of Haryana | 0.278 Km | 2.78 Km | 100% for four or more lane, of the base rate mentioned in Table-1 above. |

*Details of structures having length more than 60m is as under:

| Chainage | | NH no. | Type of Structure | Length (in km) | Equivalent Road length in km |
|---|---|---|---|---|---|
| From (Km) | To (Km) | | | | |
| -0+060 | 0+060 | NH-148B | VUP | 0.120 | 1.20 |
| 4+310 | 4+389 | NH-148B | ROB | 0.079 | 0.79 |
| 38+180 | 38+259 | NH-148B | ROB | 0.079 | 0.79 |

**4.** The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 340 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

**5.** For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

**Table 5**

| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
|---|---|---|
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty-four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys. | Fifty | One month from date of payment |

**6.** Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

**7.** The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

**8.** Vehicles with valid functional FAStag will be allowed on the highway. A fee equal to two times of the fee payable to that category will be levied from the vehicles who are not having valid functional FAStag, non- FAStag vehicles, low balance, Blacklisted FAStag etc.

**9.** All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

**10.** The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

**11.** Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

**12.** The estimated capital cost of the project is Rs. 2056.90 Crores. The Capital Cost is subject to variation as the activities of Land Acquisition, Utility Shifting, Tree Cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of Capital Cost through user fee realised.

[F. No. PUNDIV-19/29/2025-PIU Bhiwani/E-259231]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.05 16:11:02 +05'30'